Extra

सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 5600 / 1024 / 2015

श्री संजीव कुमार,
ग्राम व पोस्ट – पिण्डी, D820
जिला – देवरिया, उत्तर प्रदेश
Email – pathakjipindiwale@gmail.com ... शिकायतकर्ता

बनाम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
द्वारा – सचिव, D821
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 .... प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि – 27.12.2016

उपस्थित –

1. श्री संजय मणि त्रिपाठी, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता पक्ष से
2. श्रीमती सुनीता गुलाटी, अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली प्रतिवादी पक्ष से

आदेश

शिकायतकर्ता, 40 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित करने एवं जे.आर.एफ का भुगतान नहीं करने से सम्बन्धित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत इस न्यायालय में शिकायत दिनांक 09.12.2015 को प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे 2012 में नेट परीक्षा शिक्षाशास्त्र में जे॰आर॰एफ॰ के साथ उत्तीर्ण किया। दिनांक 06.02.2013 को आर0टी0आई0 द्वारा प्रतिवादी से माँगी गई सूचना के सन्दर्भ में उन्हें सूचित किया गया कि आई0ए0एस0ई0 मानित विश्वविद्यालय से पंजीकृत पी0एच0डी0 शोधार्थी को जे0आर0एफ0 देने की बात कही गई है। दिनांक 16.10.2014 को प्रतिवादी ने पुनः आवेदन माँगा जिसे नवम्बर 2014 में भेज दिया गया। दिनांक 16.10.2015 को प्रतिवादी से माँगी गई सूचना के क्रम में पत्र दिनांक 16.11.2015 द्वारा उन्हें पुनः पत्र दिनांक 07.03.2013 में दर्शाई गई सूचना दी गई। प्रतिवादी के इस व्यवहार से क्षुब्ध और दुखी होकर शिकायतकर्ता ने दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 तक 15 महीने का भुगतान एक मुश्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देशित किया जाये।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को पत्र दिनांक 29.01.2016 के द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्रांक 17–194/2014(एसए–I) दिनांक 22.04.2016 के द्वारा सूचित किया कि दिनांक 8 और 9 अप्रैल 2015 को हुई "Expert Committee to bring Parity Amongst Scholarship, Fellowship Research Award Schemes" की दूसरी बैठक की कार्यवृत्त के अनुसार जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय यु.जी.सी. की धारा 2 (एफ) और 12(बी) से सम्बद्ध है उन्हीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रवृति भेजी जा सकती है।

5. शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 12.09.2016 द्वारा सूचित किया कि प्रतिवादी के पत्र दिनांक 22.04.2016 के अनुसार उनका शोध विश्वविद्यालय (आइएएसइ मानित विश्वविद्यालय, सरदारशहर – चुरू राजस्थान) यु.जी.सी. की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) से सम्बन्धित नहीं है परन्तु उन्होंने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीकरण से पूर्व ही आर.टी.आई. द्वारा इसके वैधता और जे.आर.एफ. प्रदान करने की योग्यता के बारे में जानकारी लिया था जिसे प्रतिवादी ने अपने पत्र सं. 12–176/2012(एस.ए.1) दिनांक 07.03.2013 के अनुसार सही ठहराया था। प्रतिवादी के उक्त पत्र की प्राप्ति के बाद ही शिकायतकर्ता ने आइएएसइ मानित विश्वविद्यालय, सरदारशहर–चुरू राजस्थान में शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराया था। शिकायतकर्ता का आवेदन मई 2014 प्राप्त न होने की बात कह कर प्रतिवादी ने दुबारा पत्र सं. एफ.17–194–2014(एस.ए.) दिनांक 16.10.2014 को पुनः जे.आर.एफ. हेतु आवेदन माँगा, जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित भी किया गया। शिकायतकर्ता ने यह प्रश्न उठाया कि पत्र सं. 12–176/2012(एस.ए.–1) दिनांक 07.03.2013 और इसके डेढ़ साल बाद पत्र सं. एफ. 17–194–2014(एस.ए.) दिनांक 16.10.2014 को प्रेषित करते समय प्रतिवादी को आइएएसइ मानित विश्वविद्यालय, सरदारशहर–चुरू राजस्थान के मान्यता की स्थिति का ध्यान क्यों नहीं आया। प्रतिवादी के पत्र सं. एफ. नं. 12–176/2012(एस.ए.–1) दिनांक 07.03.2013 के कारण भ्रमित होकर शिकायतकर्ता ने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने को बाध्य हुआ और जे. आर.एफ. से वंचित हुआ। शिकायतकर्ता ने आग्रह किया कि उन्हें 15 महीने की अध्येतावृत्ति दिलाई जाए।

6. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में मामले को सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2016 को रखा गया।

7. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने कहा कि शिकायर्ता को अध्यावृत्ति का भुगतान करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया है और जल्द ही शिकायतकर्ता को देय अध्यावृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। परन्तु प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने अपने कथन की पुष्टि में लिखित रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

8. उपरोक्त के आलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने आइ0ए0एस0इ0 मानित विश्वविद्यालय, सरदारशहर–चुरू राजस्थान में शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराया था जिसे प्रतिवादी ने अपने पत्र सं. 12–176/2012(एस.ए.1) दिनांक 07.03.2013 के अनुसार सही ठहराया था। अतः शिकायतकर्ता अध्यावृत्ति प्राप्त करने का पात्र है। प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 तक शिकायतकर्ता को देय अध्यावृत्ति राशि का भुगतान अविलम्ब किया जाए।

9. तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
उप मुख्य आयुक्त

नई दिल्ली
दिनांक 18.02.2017